<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 6 / 2024 (उदयपुर आर्डर)</u>

बाबुलाल पिता हुरजी मीणा, निवासी सुवेरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. लक्ष्मण पिता हुरजी मीणा, निवासी सुवेरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शिवराम पिता हुरजी मीणा, निवासी सुवेरी, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, खेरवाड़ा
दिनांक 26.02.2024 प्र.सं. 2 / 2020

———/———

उपस्थित :– 1– श्री गजेन्द्र पंचाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभि. रे. 3

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 17–05–2024</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सगे भाई होकर उनके संयुक्त खातेदारी की आराजी नंबर 442, 443, 454, 461 कुल किता 4 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि ग्राम सुवेरी में स्थित है। धना पिता बदा मीणा भी उनका सगा भाई था, जो करीब 10 वर्ष पूर्व विवाह पूर्व ही लाऔलाद फोत हो गया तथा वादीगण की माता मंगली देवी की भी मृत्यु हो चुकी है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में मंगली देवी एवं धनु का नाम भी दर्ज है, जिसके प्रार्थीगण व विपक्षी [illegible] 1, 2 के [illegible]य कोई वारिस नहीं है। प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 [illegible] विभाजन कर अपने–अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:45 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की आराजी पर काबिज है एवं अपने–अपने मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। वर्तमान समय में प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा दर्ज है, जबकि 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी संख्या 1 को धमकी देता है तथा प्रार्थी के मकान की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा विपक्षी संख्या 2 भी विपक्षी संख्या 1 का सहयोग करता है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 26–02–2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की परिस्थितियों पर गम्भीरता एवं सुक्षमता के विचार किये बिना है निर्णय पारित करने में भूल की है। वादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत बंटवारा निर्माण कार्य को रोका जाना आवश्यक था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय से प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्व रेकार्ड एवं स्वयं प्रार्थी/अपीलान्ट के कथनानुसार पक्षकारान आपस में सगे भाई होकर विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी में दर्ज है। एक सहखातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर उसे उसके हक हिस्से के उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:45 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने संयुक्त खातेदारी की भूमि होने एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए 5 वर्ष बीत जाने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 26–02–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 17–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:38:45 IST
Reason: SelfAttested